

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
11.03.20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12.05.20 को प्रस्तुत करें।</p>
12 ⁰⁵ / ₂₀	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>कोरोना लॉन्गप्रडम</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.05.20 को प्रस्तुत करें।</p>
22.5.20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>कोरोना लॉन्गप्रडम</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9.6.20 को प्रस्तुत करें।</p>
9.6.20	<p>वकुलाम उपप पञ्जाप्ली में तहसीलदार जामल ल भौठा रिपोर्ट भोगवाही जान हेतु लघु रिपोर्ट पञ्जाप्ली दिनांक: 7/7/20 के फरक हो</p>
7.7.20	<p>वकुलाम उपप पञ्जाप्ली का अवलोकन किया। राजम रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे पता चि प्राचीन हसामत सडराग में रेडेंड ब्रिगेडर दर्ज नहीं है। जिससे प्रकरण प्रैनेनेबल नहीं है। शतः प्रकरण श्मी कार पर प्रैनेनेबल (अनुरहीणीम) नहीं होने से ब्रिजेज किया जाता है। पञ्जाप्ली नम्बर ले कम हो</p>